2026

विवरणिका सह अधिसूचना
पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के लिए
कक्षा IX (2026-27)

पंजीकरण की अंतिम तिथि : 23-09-2025

चयन परीक्षा की तिथि : 07-02-2026

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें:
www.navodaya.gov.in

नवोदय विद्यालय समिति

बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201307

सत्र 2026–27 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा–9 में संभावित उपलब्ध होने वाले रिक्त स्थानों के सापेक्ष चयन परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अधिसूचना (विवरणिका)

1.0 परिचयः

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (1986) के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) प्रारम्भ किए थे। वर्तमान में जनवि **तमिलनाडु राज्य को छोड़कर 27** राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये सह–शैक्षणिक आवासीय विद्यालय हैं जो एक स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित और प्रशासित हैं। जनवि में मुख्य प्रवेश कक्षा–6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी) के माध्यम से किए जाते हैं।

जनवि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ भोजन, आवास, गणवेश (यूनीफार्म) एवं पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, केवल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से रू0 600/–प्रति माह विद्यालय विकास निधि (वी वी एन) के माध्यम से लिया जाता है, यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी, सभी बालिका विद्यार्थी और विद्यार्थी जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है, को छूट दी गई है। छूट प्राप्त वर्ग (कक्षा–6 से 8 के विद्यार्थी, सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बालिका विद्यार्थी, दिव्यांग तथा गरीबी रेखा के नीचे (BPL) परिवारों के पाल्य) के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के पाल्य से रू0 1500–प्रतिमाह की दर से विकास निधि के लिए अथवा माता–पिता द्वारा प्राप्त वास्तविक पाल्य शैक्षणिक भत्ता, जो भी कम हो, देय होगा परन्तु विद्यालय विकास निधि रू0 600–प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी से कम नहीं होगी।

1.1 योजना के उद्देश्य

(i) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा के साथ सशक्त सांस्कृतिक घटक एवं मूल्यपरक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक क्रियाओं एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान करना।

(ii) विद्यार्थियों की उचित स्तरीय त्रिभाषा दक्षता प्राप्ति सुनिश्चित करना।

(iii) हिंदी से अहिंदी भाषी तथा अहिंदी से हिन्दी भाषी राज्यों में विद्यार्थियों के प्रवजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

(iv) अनुभवों और सुविधाओं की सहभागिता के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में केन्द्र बिन्दु के रूप में सेवाएं देना।

1.2 राज्यवार जवाहर नवोदय विद्यालयों का वितरण

नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक विद्यालय चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। वर्तमान में **27** राज्यों और **08** संघ शासित प्रदेशों में कुल **653** नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं। राज्यवार कार्यरत जनवि का वितरण निम्नवत है :–

क्र. सं.	राज्य	जनवि की संख्या	क्र.स	राज्य	जनवि की संख्या
01	आन्ध्र प्रदेश	13+02**	19	मध्य प्रदेश	51+02**+01*
02	अरुणाचल प्रदेश	17	20	महाराष्ट्र	33+01**
03	असम	27+01**	21	मणिपुर	09+02*
04	बिहार	38+01**	22	मेघालय	11+01**
05	चण्डीगढ़ (केन्द्रशासित)	1	23	मिजोरम	8
06	छत्तीसगढ़	27+01**	24	नागालैण्ड	11
07	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव (केन्द्रशासित)	3	25	ओड़िशा	30+01**
08	दिल्ली (केन्द्रशासित)	2+3	26	पुद्दूचेरी (केन्द्रशासित)	4
09	गोवा	2	27	पंजाब	22+01**
10	गुजरात	33+01**	28	राजस्थान	33+02**
11	हरियाणा	21	29	सिक्किम	4
12	हिमाचल प्रदेश	12	30	तेलंगाना	9
13	जम्मू और कश्मीर (केन्द्रशासित)	19+01**	31	त्रिपुरा	8
14	झारखण्ड	24+02**	32	केन्द्रशासित अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
15	कर्नाटक	30+01**	33	उत्तर प्रदेश	75+01**
16	केरल	14	34	उत्तराखण्ड	13
17	लद्दाख (केन्द्रशासित)	2	35	पश्चिम बंगाल	17+01**
18	लक्षद्वीप (केन्द्रशासित)	1			
योग 630+20+3*=653**					

**** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण वाले जिलों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त जनवि**

***विशिष्ट जनवि**

2. नवोदय विद्यालय योजना की मुख्य विशेषताएं

2.1 विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को आधुनिक गुणवत्तायुक्त शिक्षा।

2.2 कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सहशैक्षणिक और पूर्णरूपेण आवासीय।

2.3 स्थान – आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में।

2.4 भोजन, आवास, गणवेश, पाठय पुस्तकें व लेखन सामग्री आदि के साथ निःशुल्क शिक्षा।

2.5 सीबीएसई से सम्बद्ध।

2.6 त्रिभाषा दक्षता का कार्यान्वयन।

2.7 जनवि में कक्षा 8 तक अनुदेश (शिक्षा) का माध्यम मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए हिन्दी/अंग्रेजी है। जनवि के विद्यार्थी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

2.8 देश की संस्कृति और लोगों की विविधता और बहुलता की समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित एक विद्यालय से गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र के एक विद्यालय में एवं इसी तरह गैर हिन्दी भाषी क्षेत्र से हिन्दी भाषी क्षेत्र में कक्षा–9 के 30 प्रतिशत विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक वर्ष हेतु भेजा जाता है।

3. अधिसूचना

जवाहर नवोदय विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत संरचना और अन्य सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिए समिति द्वारा कक्षा 9 में रिक्त स्थानों को भरने का निर्णय लिया गया है। चयन परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा जो नविस नीति के अनुसार एक बाहरी एजेन्सी द्वारा आयोजित की जाएगी ।

शैक्षणिक वर्ष **2026–27** जनवि में उपलब्ध संभावित रिक्त स्थानों के सापेक्ष कक्षा 9 में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन परीक्षा केवल उन जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए आयोजित की जाती हैं जिनमें रिक्तियाँ होती हैं। कृपया विवरिणका के अन्त में सूची/अनुमानित रिक्तियों का संदर्भ लें। चूंकि सूचित की गई रिक्तियाँ अनुमानित हैं, इसलिए प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण इनमें कमी आ सकती है।

4. चयन परीक्षा का स्थान एवं तिथि

कक्षा 9 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा शनिवार 07 फरवरी 2026 को संबंधित जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय/नविस द्वारा आवंटित किसी अन्य केन्द्र में आयोजित की जाएगी।

5. चयन परीक्षा का परिणाम

चयन परीक्षा का परिणाम नविस के आवेदन पोर्टल, जिसके माध्यम से आवेदन किया गया है, से देखा जा सकता है। परिणाम विद्यालय के सूचना पट्ट पर अधिसूचित किया जाएगा और साथ ही सबंधित जनवि की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को स्पीड/पंजीकृत डाक के द्वारा भी सूचित किया जाएगा।

6. आवेदन करने की पात्रता

6.1 कौन पात्र है?

क. केवल वही उम्मीदवार पात्र हैं जो उस संबन्धित जिले के वास्तविक निवासी हैं जहां वे आवेदन करना चाहतें हैं और उन्हे उसी जिले का निवासी होना चाहिए।

ख. केवल वे अभ्यर्थी जो **शैक्षणिक सत्र 2025-26** में किसी सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से किसी एक में कक्षा 8 में अध्ययनरत है, एवं उसी जनपद के मूल निवासी हैं , जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहा है तथा जिसमें वे प्रवेश पाना चाहते है, पात्र हैं।

ग. कक्षा 8 में अध्ययन एवं निवास का जिला उन उम्मीदवारों के संबंध में समान होना चाहिए जो उसी जिले में स्थित जनवि में कक्षा 9 (**सत्र 2026-27**) में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं ।

घ. उम्मीदवार की जन्म तिथि **01 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 (दोनों दिवस शामिल)** के बीच होनी चाहिए । यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू है।

ड. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर आयु के बारे में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो नवोदय विद्यालय समिति यह अधिकार सुरक्षित रखती है, कि उम्मीदवार को प्रवेश की संस्तुति से पूर्व आयु की पुष्टि हेतु **मेडिकल बोर्ड** भेजा जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

च. केवल भारतीय नागरिक, जिन्होनें भारत में आठवीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

6.2 कौन पात्र नही है?

क. वे छात्र जो पिछले शैक्षणिक सत्रों में कक्षा 8 उत्तीर्ण कर चुके है, पात्र नहीं है।

ख. ऐसे उम्मीदवार जिनकी जन्मतिथि 01 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 (दोनो दिवस सम्मिलित) के बीच न हो ।

ग. कक्षा 8 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला अलग–अलग हो।

घ. कक्षा 8 में अध्ययन का विद्यालय उस जिले का सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं है जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हो रहा है और जहाँ प्रवेश लिया जाना है।

ड. यदि अभ्यर्थी ने पिछले शैक्षणिक सत्र में पार्श्व प्रवेश परीक्षा के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है।

7. आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग श्रेणी के लिए अधिसूचित मौजूदा रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षित किया गया है। **अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण समय–समय पर लागू केन्द्रीय सूची के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।** अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी जाति केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं है, सामान्य अभ्यर्थी की भांति आवेदन करें। संभावित रिक्त स्थानों के लिए अधिसूचना को उल्लिखित किया जा सकता है। यदि किसी विशेष श्रेणी में उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो नविस मानदंड के अनुसार प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

8. ग्रामीण और शहरी उम्मीदवार

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय में आठवीं कक्षा में अध्ययन कर रहे उम्मीदवार को ग्रामीण उम्मीदवार माना जाएगा, जिसकी उम्मीदवारी ओपन और ग्रामीण वर्ग के तहत मानी जाएगी।

उम्मीदवार जिसने सत्र के एक दिन भी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में आठवीं कक्षा का अध्ययन किया है, उसे शहरी उम्मीदवार माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जो चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा परिभाषित किए गए हैं। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण माना जाएगा।

9. जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा–9 में प्रवेश के लिए आवेदन कैसे करें।

- ❖ उम्मीदवार नविस की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। **कक्षा 9 पार्श्व प्रवेश चयन के आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 07 अक्टूबर 2025 है।**

- ❖ उम्मीदवारों अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना सह विवरणिका को ध्यान पूर्वक पढ़े और पात्रता मानदण्ड़ो की पूर्ति सुनिश्चित करें कृपया ध्यान दें कि चयन परीक्षा केवल रिक्त स्थानों के सापेक्ष है, जो संबंधित जनवि में आवास की उपलब्धता के अधीन है।
- ❖ **निम्नलिखित दस्तावेज सॉफ्ट फॉर्म में (10 से 100 केवी के बीच जेपीजी प्रारूप में) पंजीकरण के लिए तैयार रखा जा सकता है।**

- फोटो
- माता–पिता के हस्ताक्षर
- उम्मीदवार के हस्ताक्षर

- ❖ उम्मीदवार के मूल विवरण जैसे राज्य, जिला (निवास और अध्ययन), आधार संख्या , कक्षा 8 का अध्ययन विवरण, अपार आइडी(APAAR ID)/**पैन** (PEN) पता आदि, आवेदन पोर्टल में भरा जाना है।
- ❖ योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन फार्म भरना होगा और उम्मीदवार एवं उसके माता–पिता दोनों के हस्ताक्षर के साथ फोटो अपलोड करनी होगी।
- ❖ ऑनलाइन मंच खुला स्रोत और निःशुल्क है। आवेदन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि किसी भी स्रोत से जमा किया जा सकता है।
- ❖ सभी जनवि में उम्मीदवारों माता पिता को उम्मीदवारों का आवेदन निःशुल्क अपलोड करने की सहायता हेतु एक हेल्पडेस्क उपलब्ध है। उम्मीदवार और उसके माता–पिता दोनों के हस्ताक्षर के साथ फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेजों को लेकर उम्मीदवार के साथ माता–पिता जनवि में सहायता डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
- ❖ पोर्टल में सही जानकारी प्रदान करने के सभी प्रयास किए जाने हैं जिन्हे सहायक दस्तावेजों के साथ प्रवेश के समय चयन के पश्चात प्रमाणित किया जा सके ।
- ❖ अंनतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सत्र 2025–26 के दौरान कक्षा–8 उत्तीर्ण करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार/माता–पिता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आवश्यक सहायक दस्तावेज़ जमा करने के अधीन है।
- ❖ चूंकि सभी उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन डाटा लिया जा रहा है इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में डाटा को उचित सावधानी के साथ भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम माना जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी किसी भी गलत जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति जिम्मेदार नहीं होगा प्रवेश के लिए छात्र

की उम्मीदवारी छात्र द्वारा आवेदन में भरी गयी जानकारी की आवश्यक सहायक दस्तावेजों के माध्यम से उचित सत्यापन के अधीन होगी।

- ❖ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए जो वाद सं0 11591/2023 में श्रेयम जायसवाल बनाम यू ओ एल और अन्य, के शीर्षक से पारित हुआ, जानबूझ कर गलत जानकारी प्रदान करने पर प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है जिससे कोई दावा/अधिकार बनाने या बढ़ाने का प्रयास किया हो, जिसके लिए उम्मीदवार कानूनी रूप से पात्र नहीं है।
- ❖ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद केवल चयनित क्षेत्रों में जानकारी को संशोधित करने के लिए सुधार विंडो दो दिनों को खोली जाएगी । इसके पश्चात कोई संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी और अस्थायी रूप से चयनित होने पर भी उम्मीदवारी को तत्काल रद्द कर दिया जायेगा।
- ❖ सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को परिणामों की घोषणा के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जिले का निवास, आयु, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अध्ययन के जिले सहित पात्रता, श्रेणी (ग्रामीण/शहरी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,दिव्यांग) आदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। केवल सत्यापन के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

10. प्रवेश पत्र जारी करना

प्रवेश पत्र नविस द्वारा निर्धारित की गई तारीख के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे जो आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएगे। पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के आयोजन से पहले उम्मीदवारों/माता–पिता द्वारा प्रवेश पत्र निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं।

11. अनंतिम चयन और प्रवेश

क. परीक्षा में अनंतिम चयन से उम्मीदवार को जनवि में प्रवेश प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। वास्तविक प्रवेश की मांग करते समय, अनंतिम रूप से चयनित प्रत्येक उम्मीदवार को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित सभी प्रासंगिक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। चयन केवल अनंतिम है, जब तक प्रवेश की पुष्टि नहीं की जाती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जनवि द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश की पुष्टि के पश्चात ही मूल विद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें।

ख. किसी भी विवाद के मामले में, नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

ग. उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या अंको के पुनर्योग का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि परिणाम कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किया जाता है और परिणाम को तैयार करते समय

विभिन्न जांचों के माध्यम से सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी रखी जाती है। चयन परीक्षा में प्राप्त अंको को सूचित नहीं किया जाएगा।

घ. सभी विद्यार्थियों को उस जिले के सरकारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहां उन्होनें आठवीं कक्षा का अध्ययन किया है और पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

ड. यदि पाया जाता है कि अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार ने सत्यापन के समय कोई धोखाधड़ी वाला दस्तावेज़ जमा किया है, तो उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इसके अलावा, यदि किसी उम्मीदवार ने कोई जानकारी दबाई/छुपाई है या धोखाधड़ी वाला दस्तावेज़ जमा किया है, और बाद में यह पाया जाता है कि जानकारी या दस्तावेज धोखाधड़ी वालें हैं अथवा न0वि0स0 प्रवेश मानदण्डों के अनुसार नहीं है, तो उसका प्रवेश किसी भी स्तर पर रद्द कर दिया जायेगा, भले ही उसने प्रवेश ले लिया हो।

च. उम्मीदवार की जन्मतिथि **01 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 (दोनों दिवस सम्मिलित)** के बीच होना चाहिए। उसे प्रवेश के समय संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अधिक उम्र के संदिग्ध मामलों में उन्हें उम्र की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। **मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।**

छ. अनंतिम रूप से चयनित अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अपने दावे का समर्थन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सूची का अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से पहले से प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि इसे दस्तावेज के सत्यापन के समय संबंधित जनवि के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों को अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ज. ग्रामीण श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार ने जिस विद्यालय से आठवीं कक्षा का अध्ययन किया है, वह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

झ. दिव्यांग श्रेणी (शारीरिक, श्रवण और दृष्टि) से संबंधित उम्मीदवारों को यदि अनंतिम रूप से चुना जाता है तो उन्हे उचित प्रारूप पर प्रवेश के समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ञ. ट्रान्सजेंडर श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को अपने लिंग के संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस श्रेणी के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है।

ट. किसी भी परिवर्तन हेतु अनुरोध जैसे कि जनवि/श्रेणी/क्षेत्र/लिंग आदि पर विचार नहीं किया जायेगा। चयन हेतु केवल पंजीकरण के समय उपलब्ध कराए गए आकड़ों के आधार पर ही विचार किया जायेगा।

ठ . आधार अधिनियम की धारा 4 (4)(ब)(II) के अधीन जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 05.08.2020 को सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार,ज्ञान) नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण अधिसूचित किया है और आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं को लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016(2016 का 18) की **धारा 7** के अनुसरण में, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बच्चे को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। नवोदय विद्यालय समिति के संबंध में दिनांक 21.10.2022 व दिनांक 09.01.2023 के संदर्भ सं. 33004/99 के अन्तर्गत आवश्यक अधिसूचनाएं संबंधित मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है । कोई भी बच्चा जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार के लिए नांमाकन नहीं किया है उसे योजना हेतु पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे किसी भी आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर (यूआईडीएआई की बेवसाइटः www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) आधार के लिए पंजीकरण कराएंगें । जनवि में भी आधार नामांकन के लिए पंजीकरण की सुविधा है । उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है ।

12.परीक्षा

- परीक्षा की तिथि –**शनिवार 07 फरवरी 2026**
- **अवधि– 2.30 घण्टे**, हालांकि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) उम्मीदवारों के संबंध में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

- परीक्षा केन्द्र संबंधित जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय/नविस द्वारा आवंटित कोई अन्य केन्द्र होगा।
- परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम अंग्रेजी/हिन्दी होगा। आवेदन के पश्चात भाषा का माध्यम परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- विद्यार्थियों को ओएमआर सीट में जवाब देना होगा।

13. चयन परीक्षा की संरचना एवं प्रकृति

चयन परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, और हिंदी विषयों के प्रश्न शामिल होगें। परीक्षा पत्र का कठिनाई स्तर आठवीं कक्षा का होगा।

क0सं0	**विषय**	**प्रश्नों की संख्या**	**अंक**
01	अंग्रेजी	15	15
02	हिंदी	15	15
03	गणित	35	35
04	सामान्य विज्ञान	35	35
योग		**100**	**100**

परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के साथ बिना किसी रूकावट के 2.30 घण्टे अवधि की होगी।

अभ्यर्थी को नविस द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार सभी चार विषयों में न्यूनतम अर्ह अंक अर्जित करना है। यद्यपि वरीयता सूची तीन विषयों में प्राप्त अंक, गणित+विज्ञान+दो भाषाओं में से किसी एक जिसमें अभ्यर्थी ने अधिक अंक प्राप्त किये हैं, के आधार पर तैयार की जायेगी।

यदि 100 में से समान अंक होने पर बराबरी होती है तो उसी कम में निम्नलिखित मानदण्ड़ो का पालन किया जायेगा।

क) **महिला उम्मीदवार को पुरूष उम्मीदवार पर प्राथमिकता दी जायेगी।**

ख) **यदि फिर भी समानता बनी रहती है तो** मानसिक योग्यता अंक को छोड़कर 30(दो विषयों) में से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग) **यदि फिर भी समानता बनी रहती है** तो सभी चार विषयों यानी 100 में से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

घ) यदि समानता अभी भी हल नहीं हुई है, तो उम्मीदवार जिसकी उम्र कम है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

उत्तर अंकित करने की विधि

(i) एक अलग ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों को ओएमआर शीट पर उपयुक्त स्थान पर अपने उत्तर को इंगित करना आवश्यक है।

(ii) **ओएमआर शीट पर लिखने के लिए केवल नीला/काला बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग किया जाना है।** उम्मीदवार को अपने स्वयं के बॉल प्वाइंट पेन लाने चाहिए। **पेंसिल का उपयोग सख्त मना है।**

(iii) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार संभावित उत्तर हैं जिसमें केवल एक सही है। **उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन करना है और तद्नुसार गोले को काला करना है।** उदाहरण के लिए यदि प्रश्न संख्या 24 के लिए आपका उत्तर C है तो नीचे दिए गए के अनुसार C के गोले को काला करें।

24. (A) (B) (C) (D)

(iv) काले घेरे में कोई बदलाव की अनुमति नहीं है। ओएमआर शीट पर खुरचने, सफेद/सुधार तरल पदार्थ लगाने और मिटाने की भी अनुमति नहीं है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(v) प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (1) अंक दिया जाएगा।

(vi) कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा।

<u>चयन के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज</u>

पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के माता–पिता को सत्यापन के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:–

i. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र–संबंधित सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. नविस की मानदंड/शर्तों के अनुसार पात्रता के लिए प्रमाण।

iii. ग्रामीण कोटे के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, माता–पिता को जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि बच्चें ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी संस्थान/विद्यालय में आठवीं कक्षा की पढ़ाई की थी।

iv. निवास प्रमाण पत्र : माता–पिता का उसी जिले का वैध आवासीय प्रमाण पत्र (जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है) जहां जनवि स्थित है और उम्मीदवार ने आठवीं कक्षा का अध्ययन किया है।

v. उम्मीदवार के आधार कार्ड की प्रति : आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को अपने आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी।

vi. अध्ययन विवरण के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

vii. सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र।

viii. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

ix. श्रेणी/समुदाय प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग, केन्द्रीय सूची के अनुसार यदि लागू हो।

नोट:–1–दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित जनवि द्वारा प्रवेश की पुष्टि के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ/बीईओ आदि) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल विद्यालय से निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा किया जाना है।

2–आवेदन में प्रस्तुत विवरण जैसे क्षेत्र/<u>लिंग/श्रेणी</u>/ज0न0वि0 में परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नवोदय विद्यालय समिति
पार्श्व प्रवेश परीक्षा–कक्षा 9–2025
कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा पत्र का पाठ्यक्रम

SUBJECT: ENGLISH **MAXIMUM MARKS: 15**

SL.NO UNIT/TOPIC

1. Comprehension (Unseen Passage)
2. Word and Sentence
3. Structure Spelling
4. Rearranging jumbled words
5. Passivation
6. Use of degrees of comparison
7. Modal auxiliaries
8. Use of prepositions
9. Tense forms
10. Reported speech

हिन्दीः पाठ्यक्रम **अंक 15 बहुविकल्पी प्रश्न**

क्रम. **विषय**

(क) भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएँ

(i) वर्ण विचार/वर्तनी विवेक

(ii) शब्दभेद (स्रोत/उत्पत्ति)

(iii) पर्याय/विलोम

(iv) शब्द विवेक (शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर)

(v) पद भेद (व्याकरणिक कोटि) की पहचान

(vi) पद परिचय

(vii) अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना

(viii) वाक्य रचनान्तरण (सरल/संयुक्त/मिश्र)

(ix) मुहावरा

(x) लोकोक्ति

(ख) अपठित बोधात्मक प्रश्न

विषयः सामान्य विज्ञान **अधिकतम अंकः 35**

क्र0सं0	अध्यायवार कक्षा 8 विज्ञान समाधान	शामिल शीर्षक
अध्याय 1	फसल उत्पादन एवं प्रबन्ध	कृषि पद्धतियां , आधारिक फसल उत्पादन पद्धतियां , मिट्टी की तैयारी , कृषि उपकरण , बुवाई, खाद और उर्वरक मिलाना , सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, जन्तुओं से भोजन
अध्याय 2	सूक्ष्म जीव : मित्र एवं शत्रु	सूक्ष्म जीव , सूक्ष्मजीव कहां रहते हैं, सूक्ष्मजीव और हम , हानिकारक सूक्ष्मजीव , खाद्य परिरक्षण , नाइट्रोजन स्थिरीकरण , नाइट्रोजन चक्र
अध्याय 3	कोयला और पेट्रोलियम	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस , कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं
अध्याय 4	दहन ज्वाला	दहन क्या है ?, हम आग पर नियत्रंण कैसे पाते हैं ? दहन के प्रकार , ज्वाला, ज्वाला की संरचना, ईधन क्या है ? ईधन दक्षता
अध्याय 5	पौधे एवं जन्तुओं का संरक्षण	वनोन्मूलन एवं इसके कारण, वनोन्मूलन के परिणाम, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, जैव मण्डल आरक्षण, वनस्पति जात एवं जन्तु जात , विशेष क्षेत्री प्रजातियां , वन्य प्राणी अभ्यारण्य , राष्ट्रीय उद्यान , रेड डाटा पुस्तक, प्रवास , कागज का पुर्नचक्रण , पुनर्वनरोपण
अध्याय 6	जन्तुओं में जनन	जनन की विधियां , लैगिंक जनन, अलैगिंक जनन
अध्याय 7	किशोरावस्था की ओर	किशोरावस्था एवं यौवनारम्भ, यौवनारम्भ में होने वाले परिवर्तन , गौण लैगिंक लक्षण, जनन प्रकार्य प्रारम्भ करने में हार्मोन की भूमिका , मानव में जनन काल की अवधि , संतति का लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है , लिंग हार्मोन के

		अतिरिक्त अन्य हार्मोन , कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान , जननात्मक स्वास्थ्य ।
अध्याय 8	बल तथा दाब	**बल– अपकर्षण या अभिकर्षण, बल अन्योन्यक्रिया के कारण लगते हैं, बलों की खोजबीन, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है , बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है , संपर्क बल, असंपर्कबल, दाब , द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, वायुमण्डलीय दाब**
अध्याय 9	घर्षण	**घर्षण बल , घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक , घर्षण : हानिकारक परन्तु अनिवार्य, घर्षण बढ़ाना व हटाना , पहिए घर्षण कम कर देतें हैं , तरल घर्षण ।**
अध्याय 10	ध्वनि	**ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, कंपन का आयाम , आर्वतकाल तथा आवृति श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां , शोर एवं संगीत , शोर प्रदूषण ।**
अध्याय 11	विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव	**क्या द्रव विद्युत चालन करते है ? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव , विद्युत लेपन**
अध्याय 12	कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं	**तड़ित, रगड़ द्वारा आवेशन, आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया , आवेश का स्थानान्तरण , तड़ित की कहानी, तड़ित से सुरक्षा, भूकम्प**
अध्याय 13	प्रकाश	**वस्तुओं का दृश्य कौन बनाता है ? परावर्तन के नियम , नियमित और विसरित परावर्तन, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है , बहु प्रतिबिंब , सूर्य का प्रकाश– श्वेत या रंगीन , हमारी नेत्रों के अंदर क्या है, नेत्रों की देखभाल, चाक्षुष–विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, ब्रैल पद्धति क्या है ?**

विषय: गणित **अधिकतम अंक : 35**

क्र0सं0 **इकाई / शीर्षक**

1. परिमेय संख्याएं
2. वर्ग तथा वर्गमूल
3. घन तथा घनमूल
4. घातांक और घात
5. सीधा और प्रतिलोम समानुपात
6. राशियों की तुलना (प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज)
7. बीजीय एवं सर्वसमिकाएं गुणनखण्ड के साथ
8. एकचरीय रैखिक समीकरण
9. चतुर्भुजों को समझना (समान्तर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत,वर्ग,पतंग)
10. क्षेत्रमिति

    अ)समतल आकृतियों का क्षेत्रफल

    ब)घन,घनाभ और बेलन का वक्रपृष्ठ और आयतन

11. आकड़ों का प्रबंधन (दंड आलेख,पाई चित्र, आकड़ों का संग्रह, प्रायिकता)